

(प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत जारी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति)

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 – जोन-उत्तर स्तरीय समिति 01/2022 बैठक दिनांक 29.09.2022 का कार्यवाही विवरण

जोन (उत्तर) स्तरीय समिति की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 29.09.2022 को उपायुक्त उत्तर महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सांय 4:30 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण व अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :-

1. उपायुक्त उत्तर, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
2. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
3. उप नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक के एजेण्डा की प्रतियां उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त पत्रावलियों से संबंधित 4 एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

प्रस्ताव संख्या 1

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.09.2021 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सृजित आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 07.04.2022 को जारी राजपत्र एवं राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार जिन कॉलोनीयों में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण हैं तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल जिसमें विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत तक है तथा 2 हैक्टेयर से अधिक में टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के नियमों के तहत नियमन के पूर्ण अधिकार दिये गये हैं।

प्रकरण में आवेदक श्रीमती कविता माथुर पत्नी श्री संजय माथुर राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 3759, 3758 मिन. के भूखण्ड के नियमन हेतु पत्रावली लम्बित हैं। जिसमें ले-आउट प्लान स्व-निर्धारण के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया है। उक्त ले-आउट प्लान का कुल क्षेत्रफल 9560 वर्गमीटर हैं जिसमें बेचान योग्य क्षेत्रफल 6448.40 वर्गमीटर (67.45%) है, जो कि PSKS-2021 के परिपत्रों के अनुसार अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि को सीकर रोड़ (MDR) के सड़क मध्य से 30 मीटर चौड़ा पंधुचमार्ग उपलब्ध हैं। उक्त ले-आउट में भू-अभिलेख शाखा तथा कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार 10% से अधिक निर्माण हैं। उक्त सर्वे के खसरा सुपरइम्पोज का सत्यापन भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा कर दिया गया है। आवेदित प्रकरण के दक्षिणी भाग में स्थित रेल्वे लाईन के दोनों ओर जोन-1 प्लान अनुसार 30 मीटर ग्रीन बफर हेतु तत्पश्चात 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु प्रस्तावित है। प्रकरण के उत्तरी भाग में 30 मीटर चौड़ा नाला स्थित हैं, जिसके दोनों ओर 15 मीटर ग्रीन बफर प्रस्तावित हैं तथा आवेदित भूमि के उत्तरी भाग में 60 मीटर-मास्टर प्लान सड़क मध्य से 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु भूमि आरक्षित रखा जाना प्रस्तावित हैं।



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



भू-अभिलेख शाखा की रिपोर्ट अनुसार ले-आउट प्लान में शामिल उक्त खसरो में खातेदारों की भूमि हैं तथा जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों द्वारा ले-आउट स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा 90-क स्वीकृत नहीं हैं।

मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-2) आनासागर अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मिश्रित हैं। उक्त भूमि सचिव अविप्रा के यू.ओ.नोट 260-278 अनुसार किसी भी योजना में अवाप्तशुदा नहीं हैं एवं विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में कोई वाद लम्बित नहीं हैं।

निर्णय:- प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान आवासीय प्रयोजनार्थ निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. प्रकरण में चूंकि खातेदारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं 90-क स्वीकृत नहीं हैं। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.07.2022 के क्रम में राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 13 तथा नियम 15 (3) के तहत कृषि भूमि पर उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों की सुनिश्चितता करते हुए 90-क (8) सुओमोटो के तहत भूमि निकाय के नाम दर्ज की जावे और उसकी किस्म आबादी दर्ज की जावे।
2. प्रकरण में चिन्हित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान अनुसार मिश्रित हेतु आरक्षित हैं। अतः डीसीआर के तहत आवासीय भू-उपयोग अनुज्ञेय हैं।
3. प्रकरण में उपायुक्त (उत्तर) एवं पटवारी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया एवं मौका रिपोर्ट अनुसार विद्यमान निर्माण द्वारा सड़क मार्गाधिकार की भूमि पर अतिक्रमण हैं। अतः प्रस्तावित मास्टर प्लान सड़क (60 मीटर- MDR) हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर मार्गाधिकार हेतु भूमि आरक्षित रखी जानी होगी एवं खातेदार द्वारा सड़क मार्गाधिकार की भूमि अविप्रा को निशुल्क समर्पित की जानी होगी।
4. प्रकरण के दक्षिणी भाग में स्थित रेल्वे लाईन के दोनों ओर जोनल प्लान अनुसार 30 मीटर ग्रीन बफर एवं 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु निर्धारित बफर तथा उत्तरी भाग में स्थित नाला जो आवेदित भूमि से लगता हुआ है, जोनल प्लान अनुसार नाले के दोनों ओर निर्धारित 15 मीटर ग्रीन बफर रखा जाना अनिवार्य होगा एवं निर्धारित बफर से प्रभावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावे।
5. प्रकरण में आवेदक द्वारा जोनल प्लान अनुसार रेल्वे बफर, नाले का बफर एवं MDR सड़क से प्रभावित भूखण्ड दर्शाते हुए तथा प्रत्येक व्यवसायिक व आवासीय को संयुक्त रूप से एक आवासीय भूखण्ड दर्शाते हुए संशोधित गणना सहित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं।
6. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम-2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

प्रस्ताव संख्या 2

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.09.2021 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सृजित आवासीय योजनाओं को



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 07.04.2022 को जारी राजपत्र एवं राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार जिन कॉलोनीयों में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण हैं तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल जिसमें विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत तक है तथा 2 हैक्टेयर से अधिक में टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के नियमों के तहत नियमन के पूर्ण अधिकार दिये गये हैं।

प्रकरण में आवेदक श्रीमती गोदावरी देवी पत्नी श्री सत्येश्वर प्रसाद शर्मा गोटा कॉलोनी राजस्व ग्राम बोराज खसरा संख्या 753 के भूखण्ड संख्या 112 के संशोधित मानचित्र हेतु पत्रावली लम्बित हैं। आवेदक को अविप्रा द्वारा आवासीय पट्टा दिनांक 02.06.2020 को जारी हैं। आवेदन में नियमन शाखा की रिपोर्ट अनुसार 90-बी स्वीकृत हैं तथा ले-आउट प्लान तत्कालीन न्यास द्वारा 17.06.2002 को अनुमोदित हैं।

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र में भू.सं. 112 के दक्षिण भाग में 19'-6" चौड़ा सड़क मार्गाधिकार दर्शित हैं तथापि अनुमोदित ले-आउट प्लान के आधार पर दक्षिण भाग में भू.सं. 111 स्थित हैं। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार दक्षिण भाग में 20 फीट चौड़ा सड़क मार्गाधिकार विद्यमान हैं तथा उक्त सड़क से पश्चिम दिशा में स्थित अनाधिकृत कॉलोनी को पंधुचमार्ग उपलब्ध हैं।

प्रकरण में ले-आउट प्लान समिति की 03/2022 वीं बैठक दिनांक 01.04.2022 के निर्णय अनुसार भू.सं. 111 के स्वामित्व तथा बेचान संबंधि जांच एवं सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदत्त हैं इस क्रम में आवेदक द्वारा 30.12.2021 को आम सूचना प्रकाशित कर आपत्ति आमंत्रित की गई। नियमन शाखा की रिपोर्ट अनुसार कोई आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार भू.सं. 111 पर सड़क दर्शित करने का संशोधन भूखण्डधारी द्वारा अपने स्वामित्व के भूखण्ड का निःशुद्ध समर्पण प्राधिकरण हित में यदि किया जाता है तो कोई वैधानिक बाधा प्रतीत नहीं होती हैं तथा उक्त खसरे में कोई वाद लम्बित नहीं है।

नियोजन शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में खातेदार/विकासकर्ता द्वारा भू.सं. 111 का बेचान तथा वाद लम्बित न होने के संबंध में शपथ पत्र अपेक्षित हैं। नियमन संबंधित जांच भूखण्ड संख्या 111 हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं। स्वीकृत ले-आउट प्लान अनुसार भू.सं. 111 की चौड़ाई 30 फीट दर्शित हैं तथा मौके पर 20 फीट सड़क विद्यमान हैं। अतः रिक्त क्षेत्र के संबंध में स्पष्ट जांच कर निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं।

नगरीय विकास विभाग के द्वारा जारी स्पष्टिकरण क्रमांक-प(17)नवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 8 (III) के क्रम में संशोधित ले-आउट प्लान हेतु प्रकरण प्रस्तुत हैं।

निर्णय:- प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा संशोधित स्थल मानचित्र हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. प्रकरण में पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान में दर्शाये गये भूखण्ड संख्या 111 के स्वामित्व एवं बेचान के संबंध में श्री घासीराम चौधरी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है अपितु आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैनामा में भूखण्ड संख्या 111 के समक्ष श्री मनमोहन गहलोत के स्वामित्व का अंकन है। इस प्रकार भूखण्ड संख्या 111 के संबंध में संशय की स्थिति बनती है। अतः स्वामित्व के निर्धारण हेतु श्री मनमोहन गहलोत द्वारा श्री घासीराम चौधरी को किस प्रकार भूखण्ड संख्या 111 प्राप्त हुआ इस संबंध में स्पष्ट जांच एवं स्वामित्व निर्धारण हेतु संबंधित दस्तावेज श्री मनमोहन गहलोत/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं।
2. प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 111 के स्थान पर लगभग 20 फीट रास्ता उपलब्ध है। चूंकि भूखण्ड संख्या 111 का माप 30 फीट स्वीकृत ले-आउट अनुसार अंकित

है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 8 (iii) के क्रम में मौका स्थिति अनुसार भूखण्ड संख्या 111 को 30 फीट रास्ते के रूप में संशोधित किये जाने के क्रम में भूखण्ड संख्या 111 के स्वामित्व का निर्धारण होने के पश्चात् भू-स्वामी द्वारा 30 फीट मार्गाधिकार की भूमि पूर्ण रूप से अविप्रा के पक्ष में समर्पित करते हुए समर्पण पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर उक्त आदेश के क्रम में भूखण्ड संख्या 111 को 30 फीट रास्ते के रूप में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. बिन्दु संख्या 1 व 2 में उल्लेखित शर्तों की पालना 3 माह की निश्चित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना आवेदक द्वारा अपेक्षित है। अन्यथा उक्त निश्चित समयावधि के पश्चात् प्रकरण का निर्णय निरस्त माना जावेगा।

प्रस्ताव संख्या 3

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.09.2021 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सृजित आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 07.04.2022 को जारी राजपत्र एवं राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार जिन कॉलोनीयों में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण हैं तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल जिसमें विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत तक है तथा 2 हैक्टेयर से अधिक में टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के नियमों के तहत नियमन के पूर्ण अधिकार दिये गये हैं।

प्रस्तुत ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा संख्या 13 हेतु स्व-निर्धारण के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त ले-आउट प्लान का कुल क्षेत्रफल 38330 वर्गमीटर है। भू-अभिलेख शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 13 किस्म गै.मु. आबादी अविप्रा का स्वामित्व है। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यमान भूखण्डों की स्थिति प्रस्तुत ले-आउट प्लान से भिन्न है तथा 132KV एच.टी. लाइन का सेफ्टी कॉरिडोर दर्शाया जाना अपेक्षित है। मौके पर विद्यमान आन्तरिक सड़कें ले-आउट प्लान में दर्शायी नहीं गई हैं।

सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में मास्टर प्लान तथा जोनल प्लान पर योजना की सीमा अनुसार सुपरईम्पोजिशन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा संख्या 1, 3, 7 व 12 की भूमि में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 191 दिनांक 20.05.1994 को निरस्त करने व भूमि को पंचायत को हस्तान्तरित करने का अनुतोष चाहा गया है। स्थगन नहीं है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा संख्या 13 किस्म गै.मु. आबादी दर्ज है एवं स्वामित्व अविप्रा का है। अधिकांश खसरे गै.मु. चट्टान, गै.मु. पहाड़, गै.मु. रास्ता एवं गै.मु. नाले के रूप में दर्ज हैं, जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी हैं। राजस्व ग्राम हाथीखेड़ा के खसरों में भूमि पंचायत को हस्तान्तरित करने हेतु वाद विचाराधीन है। अतः प्रकरण को समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.09.2021 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सृजित आवासीय योजनाओं के

ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 07.04.2022 को जारी राजपत्र एवं राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार जिन कॉलोनीयों में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण हैं तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल जिसमें विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत तक है तथा 2 हैक्टेयर से अधिक में टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के नियमों के तहत नियमन के पूर्ण अधिकार दिये गये हैं।

सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम कोटड़ा के खसरा संख्या 1057 से 1060, 1068, 1069, 1072 से 1075, 1081, 1118, 1126 से 1128, 1131, 1131/1456, 1132, 1134, 1138, 1139 कुल क्षेत्रफल 3.106 हैक्टेयर हेतु स्व-निर्धारण के तहत किया गया। उक्त ले-आउट प्लान सर्वेक्षण कार्य के आधार पर आवासीय 57.85 प्रतिशत एवं सड़क हेतु 42.15 प्रतिशत विद्यमान हैं तथा कुल भूखण्ड 118 में से 61 पूर्ण/आंशिक निर्मित हैं एवं 57 भूखण्ड रिक्त हैं।

भू-अभिलेख शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1058, 1059, 1060, 1073, 1074, 1075, 1128, 1139 सिवायचक के रूप में दर्ज हैं। खसरा संख्या 1075 किस्म गै.मु. आबादी एवं खसरा संख्या 1130, 1131 किस्म गै.मु. चाह दर्ज हैं, शेष खसरे खातेदारी के रूप में दर्ज हैं। खसरा संख्या 1068, 1069 दिनांक 27.06.2017 को 90-क आदेश अनुसार अविप्रा के नाम दर्ज हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यमान स्थिति अनुसार नाला प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शाया नहीं गया है। आन्तरिक दो सड़कों की स्थिति मौका स्थिति से भिन्न हैं। तथा कुछ भूखण्ड मौके पर रिक्त हैं जिन्हें ले-आउट प्लान में निर्मित दर्शाया गया है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित योजना के खसरा संख्या प्राधिकरण की किसी योजना में अवाप्त/अवाप्ताधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित योजना के खसरो में कोई वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं हैं।

सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान सुपरईम्पोजिशन अनुसार प्रस्तावित योजना के उत्तर पश्चिमी भाग में नाला विद्यमान है तथा प्रस्तावित योजना की भूमि का भू-उपयोग आवासीय है।

निर्णय:- प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से संशोधित ले-आउट प्लान हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. प्रकरण में खसरा संख्या 1059, 1060, गै.मु. नाला एवं 1130, 1131 गै.मु. चाह के रूप में दर्ज हैं जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी हैं। खसरा संख्या 1058, 1073, 1074 किस्म बारानी-3, खसरा संख्या 1075 किस्म गै.मु. आबादी, खसरा संख्या 1128, 1139 किस्म चाही-2 नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हैं। अतः उक्त सभी खसरों को हटाते हुए संशोधित ले-आउट सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत किया जावे।
2. प्रकरण में खसरा संख्या 1068 एवं 1069 का स्वामित्व 90-क आदेश क्रमांक 3/2017 दिनांक 27.06.2017 द्वारा अविप्रा के नाम दर्ज है। अतः उक्त खसरो के संबंध में 90-क आदेश उपरान्त नियमन/ले-आउट प्लान स्वीकृति के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट नियमन शाखा द्वारा ली जावे।
3. सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत ले-आउट में खसरा संख्या 1134, 1138, 1131/1456 खातेदारी भूमि को सिवायचक स्वामित्व के खसरो से पंधुचमार्ग दर्शाया गया है। अतः कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा पंधुचमार्ग की मौका स्थिति की रिपोर्ट लेते हुए उक्त खसरो का संशोधित ले-आउट प्लान सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तुत ले-आउट के उत्तरी भाग में स्थित नाले के दोनों ओर 9 मीटर (30 फीट) बफर मार्क करते हुए एवं अविप्रा द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजना के भाग को हटाते हुए संशोधित ले-आउट प्रस्तुत किया जावे।

31
उपायुक्त उत्तर
अ.वि.प्रा. अजमेर


तहसीलदार
अ.वि.प्रा. अजमेर

अधिशायी अभियन्ता
अ.वि.प्रा. अजमेर


उप नगर नियोजक
अ.वि.प्रा. अजमेर

क्रमांक : अ.वि.प्रा./प.3/नि.शा/2022/ 2510-17

दिनांक : 14-10-2022

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. सचिव महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. निदेशक आयोजना, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. सहायक/अधिशायी अभियन्ता अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
7. रक्षित पत्रावली।


 उप नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
 जोन स्तरीय समिति
 अजमेर विकास प्राधिकरण,
 अजमेर